

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>केशराम vs चमनी देवी हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>	<p>नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>18/12/26</p>	<p>अधिवक्ता अपीलान्ट उपर अधिवक्ता अपीलान्ट ने सतोधिब शीर्षक पेश किया। फावली वास्ते हुक्म दिनांक 16/3/28 को पेश हो।</p>	
<p>16/3/26</p>	<p>अधिवक्ता संघ द्वारा कार्य - स्थगित किये जाने कारण रूप न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे। अतः पत्रावली द्वारा वास्ते हुक्म दिनांक 20/4/26 को पेश हो।</p>	
<p>20/4/26</p>	<p>अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित अधिवक्ता रैस्पोंडेंट पत्रावली पत्रानुसार वास्ते हुक्म दिनांक 23/4/26 को पेश हो। 10 साब PM विजिट बागोतरा राजकीय कार्य हेतु पधारते हैं</p>	
<p>23/4/26</p>	<p>जुलूस उपर अधिवक्ता रैस्पोंडेंट न्यायालय की अवगत कराया कि कारण से संबंधित मूल दावा का जिस्तारण अधीनस्थ न्यायालय में हो चुका है। अतः उक्त अपील सादीन होने से खारिज की जावे। अधिवक्ता अपीलान्ट ने इस पर अनापत्ति जाहिर की। अधीनस्थ न्यायालय में कारण से संबंधित मूल वादपत्र का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस्तारण किया जा चुका है। इसी धिसि में हासगत अपील उभापशुन्य हो चुकी है अतः अपील अपीलान्ट शरी त्तर</p>	